मैनुअल–13

छूट, अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त व्यक्तियों का विवरण [(खण्ड 4 (1) ख (xiii)] (पूर्व एअर इंडिया लि.)

कंपनी वर्तमान में अपने यात्रियों को निम्नलिखित छूट प्रदान कर रही है :

(1) कैंसर रोगियों को छूट

प्रायोज्यता :

इकॉनामी श्रेणी में घरेलू सेक्टरों पर एक तरफा एवं वापसी यात्रा। कैंसर रोगी के निवास स्थान अथवा निवास स्थान से निकटतम एयरपोर्ट तथा उपचार के स्थान जहां कैंसर अस्पताल/कैंसर संस्थान स्थित है, के बीच लागू।

किराया :

सामान्य इकॉनामी श्रेणी मूल किराए का 45% । कर एवं अधिभार लागू।

दस्तावेज़ :

यात्री से एक आवेदन अपेक्षित होता है जिसमें यह उल्लेख हो कि वह मान्यता प्राप्त कैंसर अस्पताल से अथवा ऐसे कैंसर अस्पताल/संस्थान से निवास स्थान तक कैंसर के उपचार के लिए यात्रा कर रहे हैं तथा यह आवेदन चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होता है। उक्त प्रमाण–पत्र कैंसर अस्पताल अथवा संस्थान द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तथापि, कैंसर उपचार/जांच के लिए पहली बार उस स्थान से यात्रा कर रहे रोगी, जहां कैंसर अस्पताल अथवा कैंसर संस्थान नहीं है, की स्थिति में एअर इंडिया के स्टेशन प्रबंधक स्थानीय अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकते हैं। एअर इंडिया ड्यूटी प्रबंधक/टिकटिंग काउंटर स्टाफ रोगी की यात्रा की वास्तविकता की पूर्ण जांच से संतुष्ट होने के पश्चात् कैंसर रोगी छूट देने के लिए प्राधिकृत हैं।

पात्रता :

यह छूट केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त है जो भारत के निवासी हैं तथा कैंसर से पीड़ित है तथा चिकित्सा जांच/उपचार के उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे हैं।

टिकटिंग कोड

सी पी–55

(2) दृष्टिहीन व्यक्तियों को छूट

प्रायोज्यता :

घरेलू सेक्टरों पर इकॉनामी श्रेणी में सभी प्रकार की यात्राएं।

किराया :

सामान्य इकॉनामी श्रेणी मूल किराए का 45% । कर एवं अधिभार लागू।

दस्तावेज़ :

यात्री के लिए यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है कि उसकी दोनों आँखों में पूर्णतः दृष्टि नहीं है। यह प्रमाण पत्र आँख के अस्पताल द्वारा अथवा एम.बी.बी.एस. स्तर के चिकित्सा उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह प्रमाण–पत्र राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दृष्टिहीनों के संस्थान के प्रमुख द्वारा भी जारी किया जा सकता है।

पात्रता :

यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है जो पूर्णतः दृष्टिहीन हैं तथा भारत के नागरिक हैं।

टिकटिंग कोड :

बी पी 55

(3) सशस्त्र सेना बलों को छूट

प्रायोज्यता :

घरेलू सेक्टरों पर इकॉनामी श्रेणी में सभी प्रकार की यात्राएं।

किराया :

सामान्य इकॉनामी श्रेणी मूल किराए का 45% । कर एवं अधिभार लागू।

दस्तावेज़ :

(क) छूट प्राप्त टिकटें सशस्त्र सेना बलों द्वारा छूट फॉर्म भरने पर एअर इंडिया द्वारा यथोचित सत्यापन के पश्चात् जारी की जाएंगी।

(ख) इस छूट प्राप्त किराए पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने साथ रखने चाहिए, इन दस्तावेज़ो की जांच स्टाफ द्वारा यात्रा के किसी की चरण में की जा सकती हैः

(i) सशस्त्र सेना बल कर्मी का सशस्त्र सेना बल का पहचान पत्र तथा मिलिट्री कर्मी के परिवार के सदस्यों के लिए यूनिट कमांडेंट द्वारा जारी पहचान पत्र।

(ii) सशस्त्र सेना बल छूट फॉर्म का भाग–II

यात्रा के किसी भी चरण में एअर इंडिया के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के उद्देश्य के लिए यात्री को यात्रा करते समय छूट फॉर्म के भाग–II के साथ अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य है।

पात्रता :

(क) अपने खर्च पर यात्रा कर रहे भारतीय सशस्त्र सेना बलों (थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना) के सक्रिय मिलिट्री कर्मी तथा उनके परिवार के सदस्य।

(ख) सशस्त्र सेना बलों को छूट देने के उद्देश्य से परिवार में पति/पत्नी, 2–26 वर्ष की आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता/पिता। विवाहित बच्चे परिवार के सदस्य नहीं माने जाते हैं।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सशस्त्र सेना बलों के कर्मी (थल सेना, जल सेना अथवा वायु सेना) यह छूट प्राप्त करने के पात्र हैं।

तट रक्षक/इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/क्षेत्रीय थल सेना तथा अन्य किसी अर्ध सेना बलों के कर्मी इस छूट के पात्र नहीं हैं।

टिकटिंग कोड

एएफसी–55

(4क) वरिष्ठ नागरिकों को छूट

प्रायोज्यता :

घरेलू सेक्टरों पर इकॉनामी श्रेणी में सभी प्रकार की यात्राएं।

किराया :

सामान्य इकॉनामी श्रेणी मूल किराए का 45% । कर एवं अधिभार लागू।

दस्तावेज़ :

वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की जाएगी :

(क) यात्री की आयु/जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ की फोटोकॉपी उदाहरणतः स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, नगर निगम से प्रमाण–पत्र, पासपोर्ट, सविजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकारी संगठन जहां वरिष्ठ नागरिक कार्यरत था, के नियोक्त से प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड अथवा वरिष्ठ नागरिक को जारी किया गया एअर इंडिया पहचान–पत्र।

(ख) वरिष्ठ नागरिक की निवासी स्थिति की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़।

(ग) भारत में निवास कर रहे विदेशियों के मामले में निवास परमिट का विवरण।

(घ) स्टाम्प के आकार के दो फोटो।

(ड़) परिशिष्ट "ए" में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार डुप्लीकेट रूप से भरा गया आवेदन फार्म।

स्टेशन प्रबंधक/आरक्षण प्रबंधक को यह अधिकार होता है कि यदि वह अन्यथा संतुष्ट है तो सूची (क) में दिए गए "आयु–प्रमाण" के दस्तावेजों के अतिरिक्त वह किन्हीं अन्य दस्तावेजों को अनुमोदित कर सकता है। वह विशिष्ट स्थितियों के तहत, किसी विशेष मामले के आधार पर अपने स्वनिर्णय पर वरिष्ठ नागरिकों की छूट भी प्रदान कर सकता है।

एअर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क पहचान पत्र तब जारी करेगी जब वह स्टॉम्प के आकार के दो फोटो सहित परिशिष्ट "क" में दिए गए फार्मेट के अनुसार डुप्लीकेट रूप में भरे गए आवेदन को आयु–प्रमाण के दस्तावेजों तथा आवासीय स्थिति के साथ एअर इंडिया के कार्यालय में जमा कराएंगे।

"फार्म" पर या वरिष्ठ नागरिक छूट देने के लिए जारी किए गए "पहचान पत्र" पर वरिष्ठ नागरिक के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं। टिकट या "पहचान–पत्र" जारी करने के लिए फोटो, आयु–प्रमाण तथा आवासीय स्थिति के दस्तावेज़ जमा कराने पर वरिष्ठ नागरिक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

एक बार पहचान–पत्र बन जाने के पश्चात् वरिष्ठ नागरिक छूट के तहत खरीदी गई प्रत्येक टिकट के लिए हर बार "आवेदन फार्म" भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

चैक–इन के समय :– पहचान पत्र या वरिष्ठ नागरिक के फोटो वाले टिकट जैकेट की जाँच की जाएगी तथा वरिष्ठ नागरिक को जारी किए गए बोर्डिंग पास की भी जाँच की जाएगी।

पात्रताः

भारतीयों के लिए

(क) भारत में स्थायी रूप से रहने वाले वह पुरुष वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने यात्रा शुरू होने की तिथि तक 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) भारत में स्थायी रूप से रहने वाली वह महिला नागरिक जिन्होंने यात्रा शुरू होने की तिथि तक 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

विदेशियों के लिए

(क) भारत में रहने वाले वह पुरुष नागरिक जिनके पास आवासीय परमिट हों तथा जिन्होंने यात्रा शुरू होने की तिथि तक 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) भारत में रहने वाली वह वरिष्ठ महिला नागरिक जिनके पास आवासीय परमिट है तथा जिन्होंने यात्रा आरंभ करने की तिथि तक 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

टिकटिंग कोड :

एससीडी–55

(4 बी) वरिष्ठ नागरिक छूट

एअर इंडिया भारत से यूरोप तथा यूएसए के लिए इकॉनामी श्रेणी मे अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिक छूट प्रदान करती है।

लागू होने की अवधि :

केवल निर्धारित अवधि के दौरान इकॉनामी श्रेणी में वापसी यात्रा हेतु।

किराया :

किराए के आयटा स्तर का लगभग 20–23% ।

दस्तावेज़ :

आयु प्रमाण के रूप में उड़ान कूपन के साथ पासपोर्ट की फोटोप्रति लगाई जाए।

पात्रताः

(क) भारत में स्थायी रूप से रहने वाले वह वरिष्ठ पुरुष नागरिक जिन्होंने यात्रा आरंभ करने की तिथि तक 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) भारत में स्थायी रूप से रहने वाली वह वरिष्ठ महिला नागरिक जिन्होंने यात्रा आरंभ होने की तिथि तक 63 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

टिकटिंग कोड :

वीसीडी 6एम/जीसीडी 6एम

मैनुअल–13

विशेष घरेलू किरायों का विवरण
(स्थायी आधार पर)
(दिनांक 29 मई, 2007 को)
(पूर्व इंडियन एयरलाइन्स)

- सभी छूट, जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं हों, पूर्व इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू नेटवर्क पर केवल इकॉनामी श्रेणी में यात्रा के लिए इकॉनामी श्रेणी भारतीय रुपए सेक्टर किरायों पर लागू होंगी।
- सभी छूट भारतीय रुपए किरायों के किराया घटक पर लागू हैं।
- भारतीय रुपए किरायों में पूर्ण ईंधन अधिभार तथा यात्री सेवा शुल्क को प्रभारित किया जाता है।
- विशेष घरेलू किराए, जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं हों, भारत में रहने वाले भारतीयों तथा विदेशियों के लिए लागू हैं।
- डॉरनियर विमान द्वारा प्रचालित उड़ानों पर कोई विशेष किराए/छूट उपलब्ध नहीं है।

<u>रियायतें</u>

<u>क्रम सं0</u>	<u>रियायत</u>		<u>शर्तें</u>
1.	**सशस्त्र सैन्य बल छूट** (एमआईएल–50) (पिछले साठ वर्षों से आरंभ बुकिंग श्रेणी "एम")	:	अपने खर्च पर यात्रा करने वाले सक्रिय सेवा में कार्यरत भारतीय सशस्त्र सैन्य बल (स्थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना) के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों को 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इसके लिए सशस्त्र सैन्य बल कार्मिक के यूनिट कमांडेंट द्वारा सशस्त्र सैन्य बल रियायत फार्म को सत्यापित कराके जमा कराना अपेक्षित होता है। यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध होता है। टिकट जारी करते समय टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। इस छूट पर यात्रा करने वाले यात्री के पहचान पत्र कार्ड का सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है।
2.	**सामान्य रिज़र्व इंजीनियरिंग सैन्य बल के कार्मिक** (जीएमएल–50) (वर्ष 1978 से पूर्व आरंभ बुकिंग श्रेणी "एम")	:	अपने खर्च पर यात्रा करने वाले सक्रिय सेवा में कार्यरत सामान्य रिज़र्व इंजीनियरिंग सैन्य बल के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों को 50% की छूट प्रदान की जाती है। इसके लिए सशस्त्र सैन्य बल कार्मिक के यूनिट कमांडेंट द्वारा सशस्त्र सैन्य बल रियायत फार्म को सत्यापित करके जमा कराना अपेक्षित होता है। टिकट जारी करते समय टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के पहचान–पत्र कार्ड का सत्यापन किया जाएगा।

			इस छूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पहचान पत्र का सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है।
3	**युद्ध में अशक्त हुए व्यक्ति** (वाईएमएल–75) (1978 से पूर्व आरंभ) बुकिंग श्रेणी "एम"	:	दिनांक 01 फरवरी, 2001 से युद्ध में अशक्त हुए व्यक्तियों (सैनिकों) के लिए छूट को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है तथा उनके परिवार के सदस्यों को 50% छूट प्रदान की जाती है। यात्रा पात्र यात्री के स्थायी पते/उसके आवास स्थान के निकटतम एयरपोर्ट से प्रारंभ अथवा समाप्त होनी चाहिए। आधार : सेना मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अशक्त व्यक्तियों की सूची। युद्ध में अशक्त हुए व्यक्तियों को यथोचित भरा हुआ तथा इंडियन एयरलाइन्स के ड्यूटी प्रबंधक से सत्यापित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4.	**शहीदों की विधवाओं को छूट** (डब्ल्यू एमएल–75) (1995 से पूर्व आरंभ) बुकिंग श्रेणी "एम"	:	दिनांक 01 फरवरी, 2001 से शहीदों की विधवाओं के लिए दी जा रही छूट को 50 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। आधारः सेना मुख्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र। संशोधित निर्धारित आवेदन पत्र को यात्री द्वारा भरकर तथा इंडियन एयरलाइन्स के ड्यूटी प्रबंधक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
5.	**भूतपूर्व सशस्त्र बल कार्मिक** जिन्हें वीरता पुरस्कार (स्तर I तथा II अर्थात् परमवीर चक्र/अशोक चक्र तथा महावीर चक्र/कीर्ति चक्र) प्रदान किया गया हो (एक्स एम एल–75) (1978 से पूर्व आरंभ) बुकिंग श्रेणी "एम"		दिनांक 01 फरवरी, 2001 से वीरता पुरस्कार स्तर I तथा II प्राप्त भूतपूर्व सशस्त्र दल के कार्मिकों के लिए छूट 50 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। संशोधित निर्धारित आवेदन पत्र को यात्री द्वारा भर कर तथा इंडियन एयरलाइन्स के ड्यूटी प्रबंधक से यथोचित सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना होगा।
6.	**अर्ध सैनिक बल को छूट** बीएसएफ/आईटीबीपी/सीआईएसए/ सीआरपीएफ/आरपीजी/एनएसजी/ एसएसबी/कोस्टगार्ड/असम राइफल/ आईबी* 1फरवरी, 2001 से आरंभ *(24 अप्रैल, 2001 से आरंभ) (पीएमएल–50) बुकिंग श्रेणी "एम"	:	अर्धसैनिक बलों में कार्यरत कार्मिक तथा उनके परिवार के सदस्य जो अपने खर्चे पर यात्रा करना चाहते हैं, को 50 प्रतिशत की छूट। इस छूट के लिए कर्मी को अपनी यूनिट के कमांडेंट से अनुप्रमाणित सशस्त्र बल छूट फार्म प्रस्तुत करना होगा। टिकट जारी करते समय टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र का सत्यापन किया जाए। इस छूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के पहचान पत्र का किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है।
7.	**पुलिस कार्मिक – शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस मैडल तथा शौर्य के लिए पुलिस मैडल से सम्मानित कर्मी :** 1फरवरी, 2001 से आरंभ (आरपीएम–75) बुकिंग श्रेणी "एम"		दिनांक 1 फरवरी, 2001 से 75 प्रतिशत छूट आरंभ की गई है । आधारः पहचान पत्र का सत्यापन । इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्णरूप से भरकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

8.	**शौर्य पुरस्कार से सम्मानित – असैनिकः** (17.10.96 से आरंभ) (जीए–75) बुकिंग श्रेणी "एम"	:	दिनांक 01 फरवरी, 2001 से "अशोक चक्र" तथा "कीर्ति चक्र" विजेताओं को 75 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। आधार : गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूची अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित।
9.	**विद्यार्थियों को छूट** (एसडी–50) बुकिंग श्रेणी "एम"	:	• सामान्य सेक्टर तथा प्वाइंट–टू–प्वाइंट किराए पर 50 प्रतिशत छूट। प्रारंभ में इस छूट की अंतरदेशीय सेक्टर पर इकॉनामी श्रेणी में सभी प्रकार की यात्राओं पर अनुमति थी। • दिनांक 7 जुलाई, 2003 से अंतरदेशीय सेक्टरों पर विद्यार्थियों की छूट में संशोधन किया गया। इस छूट के अंतर्गत केवल अध्ययन के स्थान से गृह नगर तक अथवा वापसी सेक्टर के लिए ही यात्रा की अनुमति है। इकानॉमी श्रेणी में यात्रा करने के लिए सामान्य सेक्टर तथा प्वाइंट–टू–प्वाइंट किरायों पर 50 प्रतिशत की छूट। शैक्षिक संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापित विद्यार्थियों हेतु छूट फार्म को जमा करना अपेक्षित । ये फार्म निःशुल्क उपलब्ध हैं। • 1 अक्तूबर, 2003 से विद्यार्थियों के लिए छूट की अनुमति उत्तर पूर्व के प्वाइंटों से कोलकाता तथा वापसी पर प्रचलित की जा रही उड़ानों पर भी दी है। यह छूट तभी देय है जब यात्रा अध्ययन के स्थान से गृह नगर तक के लिए की जाए। • विद्यार्थियों के लिए छूट की निम्नलिखित यात्राओं के लिए भी अनुमति प्रदान है :– – कोलकाता–चेन्नै–पोर्टब्लेयर अथवा वापसी। बशर्ते कि यह यात्रा गृह नगर तथा अध्ययन के शहर के बीच की यात्रा हो। – दिल्ली–लेह अथवा वापसी। बशर्ते कि यह यात्रा गृह नगर तथा अध्ययन के शहर के बीच की यात्रा हो। उपर्युक्त छूट 15 जुलाई, 2006 से लेकर 15 जुलाई, 2007 तक लागू है।

10.	**वरिष्ठ नागरिकों को छूट** (1.08.94 से आरंभ) (एससीडी) बुकिंग श्रेणी "एम"	:	● यात्रा प्रारंभ करने की तिथि को 65 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पुरुष यात्रियों तथा (29 अगस्त, 2000 से) 63 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट। इस छूट के अंतर्गत टिकट जारी करने के लिए आयु का प्रमाण तथा निवासी स्थिति तथा दो फोटो सहित वरिष्ठ नागरिक रियायत फार्म अथवा इंडियन एयरलाइन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को जारी पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। ● दिनांक 07 जुलाई, 2003 से वरिष्ठ नागरिक छूट में संशोधन किया गया। इस संशोधन का विवरण निम्नानुसार है :– – इस छूट के लिए केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक पात्र हैं। – केरल राउंड ट्रिप/सर्कल ट्रिप यात्रा की अनुमति है। एक तरफा यात्रा की अनुमति नहीं है। – री–रूटिंग की अनुमति नहीं है। – पुष्टिकृत टिकट प्रस्थान की तिथि से कम से कम 07 दिन पहले खरीदी जाए। – गंतव्य पर कम से कम 7 दिन तक ठहरना होगा। सर्कल ट्रिप में प्रत्येक मध्यवर्ती प्वाइंट पर कम से कम 7 दिन ठहरना होगा। ● 1 अक्तूबर, 2003 से राउंड ट्रिप यात्रा तथा सर्कल ट्रिप यात्रा में प्रत्येक मध्यवर्ती प्वाइंट में गंतव्य स्थान पर कम से कम सात दिन रहने की शर्तों को घटाकर दोनों प्रकार की यात्राओं में कम से कम दो रात ठहरना कर दिया गया। ● दिनांक 04 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित संशोधन किए गए :– – प्रस्थान की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले पुष्टिकृत टिकट खरीदने की शर्त को समाप्त कर दिया गया। वारिष्ठ नागरिक छूट के अंतर्गत पुष्टिकृत टिकटों की खरीद के लिए को समय सीमा नहीं है।

		–	राउंड ट्रिप / सर्कल ट्रिप यात्राओं की स्थिति में गंतव्य / मध्यवर्ती प्वाइंटों पर कम से कम दो रातों तक रूकने की अवधि की शर्तों को संशोधित कर राउंड ट्रिप / सर्कल ट्रिप यात्रा की स्थिति में गंतव्य / मध्यवर्ती प्वाइंटों पर कम से कम तीन रातों तक रूकने की अवधि कर दिया गया है ।
		–	वरिष्ठ नागरिकों को छूट की अन्य सभी शर्तें पूर्वव्त रहेंगी ।
		●	दिनांक दिसम्बर 2006 से निम्नलिखित संशोधन प्रभावी किए गए :
			– इकतरफा यात्रा को अनुमति न प्रदान करने वाली वर्तमान शर्त को हटाया जाता है । तत्काल प्रभाव से राउंड ट्रिप / सर्कल ट्रिप यात्रा के अतिरिक्त **इकतरफा यात्रा की भी अनुमति दी जाती है** । – राउंड ट्रिप / सर्कल ट्रिप यात्राओं की स्थिति में गंतव्य / मध्यवर्ती प्वाइंट पर **न्यूनतम तीन रातों तक रूकने** की वर्तमान शर्त को हटाया जाता है । **अब रूकने की अवधि की कोई शर्त नहीं है** । – टिकटों के पुनः मार्ग निर्धारिण की वर्तमान शर्त को हटाया जाता है । अब वरिष्ठ नागरिक छूट के अंतर्गत जारी टिकटों पर **पुनः मार्गनिर्धारण की अनुमति है** । – वरिष्ठ नागरिक छूट से संबंधित अन्य सभी शर्तें पूर्वव्त रहेंगी ।
11.	**नेत्रहीन व्यक्तियों को छूट** (बीपी – 50) (1978 से पूर्व प्रारंभ) आरक्षण श्रेणी 'एम'		सामान्य सेक्टर किराया एवं प्वाइंट टू प्वाइंट किरायों पर 50 प्रतिशत की छूट । (पूर्ण पीएसएफ लागू) नेत्र अस्पताल, केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेत्रहीनों के लिए संस्थान के प्रमुख अथवा कम से कम एमबीबीएस चिकित्सक का प्रमाण पत्र, जिसमें घोषित किया गया हो की यात्री दोनों आंखों से पूर्णतः नेत्रहीन है जमा करना आवश्यक होगा ।
12.	**कैंसर के मरीजों को छूट** (सीपी – 50) (1978 से पूर्व प्रारंभ) आरक्षण श्रेणी 'एम'		सामान्य सेक्टर किराया एवं प्वाइंट टू प्वाइंट किरायों पर 50 प्रतिशत की छूट । (केवल आवासीय स्थान एवं उपचार स्थान के मध्य यात्रा के लिए) । (पूर्ण पीएसएफ लागू) । केवल उपचार के लिए यात्रा कर रहे मरीजों के लिए

			कैंसर संस्थान/अस्पताल द्वारा प्रमाणित फार्म जमा करना आवश्यक है । उस स्थिति में जब मरीज ऐसे स्थान से जहां कैंसर अस्पताल/संस्थान नहीं हो, पहली बार कैंसर के उपचार/जांच के लिए जा रहा हो तो स्थानीय अस्पताल से प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है ।

13.	**लोको मोटर अशक्तता छूट** (30.1.1999 से भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर प्रारंभ) (एलडी – 50) आरक्षण श्रेणी 'एम'		80 प्रतिशत एवं उससे अधिक लोको मोटर अशक्तता से पीड़ित, अशक्त व्यक्ति को सामान्य सेक्टर किराया एवं प्वाइंट टू प्वाइंट किराया पर 50 प्रतिशत की छूट । पीएसएफ पूर्ण देय है । सरकारी अस्पताल के चिकित्सीय मंडल द्वारा अथवा जहां अशक्त व्यक्ति साधारणतया रहता है उस स्थान के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषित किया गया हो की व्यक्ति 80 प्रतिशत एवं उससे अधिक लोको मोटर अशकतता से पीड़ित है जमा करना आवश्यक है ।
14.	**स्ट्रेचर किराया** । स्ट्रेचर पर रोगी यात्री के लिए विशेष किराए (26 नवम्बर 1999 से प्रभावित) एसएफ – 4 आरक्षण श्रेणी 'वाई'		डोर्नियर विमान को छोड़कर सभी प्रकार के विमानों पर स्ट्रेचर वहन के लिए सामान्य प्रकाशित व्यस्क किराए का चार गुना । डोर्नियर विमान पर स्ट्रेचर वहन के लिए सामान्य प्रकाशित किराए का तीन गुना । वयस्क किराया घटक (आईएनआर/यूएसडी) एवं पीएसएफ प्रभारित । यात्री अथवा निकटम संबंधी अथवा अनुरक्षक एवं सहवर्ती चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर के साथ विधिवत रूप से भरा गया चिकित्सीय सूचना पत्र (एमईडीआईएफ) जमा करना अनिवार्य है । दिनांक 12 अक्तूबर 2001 से दस्तावेज़ों से संबंधित प्रक्रिया को संशोधित किया गया है । **एटीआर–42 320 विमान स्ट्रेचर का वहन स्वीकार करने में असमर्थ है ।**
	पोर्टब्लेयर, लेह एवं अगाती से/को स्ट्रेचर वहन के लिए किराये (29 अगस्त, 2000 से प्रभावित) एसएफ–1, आरक्षण श्रेणी 'एम'		पोर्टब्लेयर, लेह एवं अगाती से/को स्ट्रेचर वहन के लिए एकल सेक्टर किराया (आईएनआर/यूएसडी में) लागू । यात्री अथवा निकटतम संबंधी अथवा अनुरक्षक एवं सहवर्ती चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर के साथ विधिवत रूप से भरा गया चिकित्सीय सूचना पत्र (एमईडीआईएफ) जमा करना आवश्यक है । दिनांक 12 अक्तूबर, 2001 से दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया को संशोधित किया गया है । **दिनांक 15 मई, 2007** से स्ट्रेचर पर रोगी यात्री के वहन के लिए किराये निम्नानुसार संशोधित किये जाते हैं :–

		●	**ए–300/ए320/ए319/बी 737 पर वहन के लिए** – **घरेलू सेक्टरों के लिए** चार गुना के स्थान पर सामान्य प्रकाशित किराया घटक का **छः गुना** । – अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों के लिए **चार गुना के स्थान पर विशेष विपणन व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यालय द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रकाशित किराए अथवा विशेष किराए का** छः गुना ।
		●	**डीओ – 228 पर वहन के लिए** – **तीन गुना के स्थान पर सामान्य प्रकाशित किराया घटक (आईएमआर/यूएसडी)** का छः गुना ।
		●	**पोर्टब्लेयर, अगाती, लेह से/को स्ट्रेचर का वहन** – **सामान्य एकल व्यस्क किराये के स्थान पर सामान्य प्रकाशित किराये** का छः गुना ।
		●	**एटीआर – 42 पर स्ट्रैचर वहन की अनुमति नहीं है ।**
		●	**टिकटिंग कोड** – **एसएफ–4, एफएफ–3 अथवा एसएफ–1 के स्थान पर एसएफ–6**
		●	अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।
15.	राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले **खिलाड़ियों** को छूट (एसपी–25) (1995 से पूर्व प्रारंभ) आरक्षण श्रेणी 'एम'		उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में रहने वाले खिलाड़ियों को कोलकाता एवं गुवाहाटी के बीच यात्रा एवं तदुपरान्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भीतरी स्टेशन के लिए यात्रा पर किराये में 25 प्रतिशत की छूट । राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों के आयोजकों की ओर से आवेदन आवश्यक है जिसमें राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों में खिलाड़ी की भागीदारी की पुष्टि की गई हो ।

16.	**अर्जुन पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों** के लिए छूट (एए–50) (1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ) आरक्षण श्रेणी 'एम'		वित्तीय वर्ष में अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रत्येक अर्जुन पुरस्कार विजेता को 6 वापसी टिकटों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है । लघुतम मार्ग द्वारा किसी मूल स्टेशन से प्रारंभ एवं किसी एकल गंतव्य पर समाप्त यात्रा के साथ केवल घरेलू सेवाओं पर इकॉनोमी श्रेणी में एक तरफा एवं राउंड ट्रिप यात्राए । अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को एअर इंडिया आरक्षण कार्यालय से प्रत्येक बार टिकट खरीदते समय, प्राप्त अर्जुन पुरस्कार का वर्ति लेख/प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी । अर्जुन पुरस्कार विजेता एअर इंडिया का निर्धारित फार्म भरना अनिवार्य है ।